रजिस्ट्री सं. डी. (डी एन)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 708] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 4, 1990/अग्रहायण 13, 1912
No. 708] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 4, 1990/AGRAHAYANA 13, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 1990

का.आ. 933 (अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

हिन्दुस्तानी आंदोलन के संयोजक श्री रमेश अखोरी ने, तारीख 10 जून, 1989 की एक अर्जी, यह अभिकथन करते हुए, फाइल की है कि डा. जगन्नाथ मिश्र बिहार राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने के कारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (क) के अनुसार राज्य सभा की सदस्यता के लिए निरर्हित हो गए हैं।

भारत के राष्ट्रपति ने उक्त अर्जी के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन निर्वाचन आयोग की इस बाबत राय मांगी है कि क्या उक्त डा. जगन्नाथ मिश्र ऐसे ही निरर्हित हो गए हैं।

निर्वाचन आयोग ने राय (देखिए उपाबंध) दी है कि राज्य सभा के सभापति द्वारा 16 मार्च, 1990 को उक्त डा. जगन्नाथ मिश्र का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के परिणामस्वरूप वे उस दिन से राज्य सभा के सदस्य नहीं रह गए हैं। अतः यह प्रश्न कि क्या वे राज्य सभा के सदस्य के रूप में बने रहने के लिए निरर्हित हो गए हैं। अब विचारणीय नहीं रह गया है और इस प्रकार श्री रमेश अखोरी की तारीख 10 जून, 1989 की अर्जी निष्फल हो गई है।

अतः अब मैं आर. वेंकटरामन, भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और निर्वाचन आयोग की राय के

अनुसार उक्त श्री रमेश अखोरी की अर्जी खारिज करता हूं क्योंकि अब वह निष्फल हो गई है।

भारत का राष्ट्रपति

उपाबंध

भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष

1989 का निर्देश मामला सं. 2

[भारत के राष्ट्रपति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 193(2) के अधीन निर्देश]

पूर्व

पूर्व राज्य सभा सदस्य डा. जगन्नाथ मिश्र की अभिकथित निरर्हता के संबंध में

राय

1.1 राष्ट्रपति सचिवालय ने, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वांछा की जाने पर, तारीख 6/10 जुलाई, 1989 के निर्देश द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन निर्वाचन आयोग की इस प्रश्न पर राय मांगी कि क्या तत्कालीन राज्य सभा सदस्य डा. जगन्नाथ मिश्र उक्त सभा के सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित हो गए हैं।

1.2 उक्त प्रश्न हिन्दुस्तानी आंदोलन, बिहार के संयोजक श्री रमेश अखोरी के तारीख 10 जून, 1989 के उस पत्र के आधार पर उत्पन्न हुआ जिसमें यह अभिकथन किया गया था कि डा. जगन्नाथ मिश्र आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन संस्थान (इंस्टीट्यूट आफ इकोनामिक डवलपमेंट एंड सोशल चेंज), पटना के अध्यक्ष-सह-महानिदेशक का पद धारण करने के कारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) में अर्थान्तर्गत "लाभ का पद" धारण किए हुए हैं। उक्त पत्र से उपाबद्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने से यह दर्शित हुआ कि उक्त संस्थान का, जो सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक सोसायटी द्वारा प्राइवेट संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था, प्रबंध बिहार सरकार के 1986 के अध्यादेश सं. 15 [बिहार प्राइवेट शिक्षण संस्था (प्रबंध ग्रहण) अध्यादेश, 1986 बिहार प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट (टेकिंग ओवर) आर्डिनेन्स, 1986] द्वारा ग्रहण किया गया था और बाद में उक्त अध्यादेश का स्थान राज्य विधान मंडल का अधिनियम, अर्थात् बिहार प्राइवेट शिक्षण संस्था (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1987 बिहार प्राइवेट एडुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (टेकिंग ओवर) ऐक्ट, 1987] (1987 का अधिनियम 11) ने ग्रहण कर लिया। उक्त संस्था का प्रबंध ग्रहण कर लिए जाने पर, संस्थान की तत्कालीन शासी परिषद् के स्थान पर राज्य सरकार के प्रबंध बोर्ड रखना चाहा जिसके प्रधान बिहार के राज्यपाल हों। डा. मिश्र ने, जो प्रबंध ग्रहण से पहले संस्थान के अध्यक्ष-सह-महानिदेशक का पद धारण कर रहे थे, अर्जी द्वारा पटना स्थित उच्च न्यायालय के समक्ष मामले को चुनौती दी और माननीय उच्च न्यायालय ने घोषित किया कि वे (डा. मिश्र) 3500 रु. वेतन पर जो वे संस्थान के प्रबंध ग्रहण करने से पहले ले रहे थे, उक्त संस्थान के अध्यक्ष-सह-महानिदेशक बने रहे हैं। इन तथ्यों पर उक्त अर्जीदार श्री अखोरी ने तर्क दिया कि श्री मिश्र बिहार सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने के कारण, राज्य सभा के सदस्य बने रहने के लिए निरर्हता से ग्रस्त हो गए हैं।

2.1 राष्ट्रपति सचिवालय से उक्त निर्देश प्राप्त होने पर आयोग ने तारीख 9 अगस्त, 1989 को डा. मिश्र और अर्जीदार को, अपने-अपने लिखित कथन/शपथपत्र और अन्य समर्थक दस्तावेज फाइल करने के लिए, सूचनाएं जारी कीं और इस प्रयोजन के लिए उन्हें एक मास का समय मंजूर किया। उसके उत्तर में डा. मिश्र ने तारीख 8 सितम्बर को यह निवेदन किया कि उन्हें लिखित कथन और अन्य दस्तावेज तारीख 16-10-89 को या उसके पश्चात फाइल करने की अनुज्ञा दी जाए क्योंकि सुसंगत दस्तावेज उपाप्त करने और उसका निरीक्षण करने तथा उत्तर आदि तैयार करने के लिए अधिक समय अपेक्षित है। यह प्रार्थना मंजूर कर ली गयी और डा. मिश्र ने तारीख 16-10-89 को लिखित कथन फाइल किया। उन्होंने अर्जीदार के इस प्रतिवाद का विरोध किया कि उक्त संस्थान के अध्यक्ष-सह-महानिदेशक का पद, बिहार सरकार के अधीन लाभ का पद है क्योंकि वे उक्त पद मानद रूप में और बिना किसी वेतन के धारण कर रहे थे।

2.2 अर्जीदार श्री अखोरी को डा. मिश्र के लिखित कथन की एक प्रति तारीख 1 नवम्बर, 1989 को दी गई जिसका प्रयोजन था तारीख 28 नवम्बर, 1989 तक उनका प्रत्युत्तर प्राप्त करना। अपेक्षित प्रत्युत्तर समय के भीतर फाइल नहीं किया गया और अर्जीदार ने अपने काउंसेल के माध्यम से तारीख 8.12.1989 को आयोग से उस प्रयोजन के लिए तारीख 10 जनवरी, 1990 तक समय बढ़ाने की प्रार्थना की क्योंकि इसी बीच लोक सभा का साधारण निर्वाचन होना था। आयोग ने अर्जीदार की प्रार्थना मंजूर कर ली। अर्जीदार ने अपना प्रत्युत्तर तारीख 10 जनवरी, 1990 को फाइल किया। तारीख 6.1.1990 के अपने आवेदन द्वारा जो तारीख 10.1.1990 को फाइल किया गया अर्जीदार ने कुछ दस्तावेजों को कार्यवाही के अभिलेख में सम्मिलित किए जाने का निवेदन किया और यह भी प्रार्थना की कि उसका यह अधिकार सुरक्षित रहे कि वह अतिरिक्त दस्तावेजों में भी कार्यवाही के दौरान आवश्यक प्रतीत होने पर, फाइल कर सके।

2.3. ऐसे मामलों में अनुसरित प्रायिक प्रथा के अनुसार अर्जीदार का प्रत्युत्तर डा. मिश्र को तारीख 1 फरवरी, 1990 को तामील किया गया जिसका उद्देश्य प्रत्युत्तर के विरुद्ध उनका प्रत्युत्तर तारीख 14.2.1990 तक प्राप्त करना था, यदि वे ऐसा चाहते हों। तारीख 14-2-1990 को डा. मिश्र से प्राप्त अनुरोध पर उनके द्वारा ऐसा प्रत्युत्तर प्रस्तुत किए जाने का समय तारीख 2 मार्च 1990 तक बढ़ा दिया गया। तारीख 3 मार्च, 1990 को उनके

काउंसेल ने उक्त प्रयोजन के लिए मामले का समय बढ़ाए जाने की प्रार्थना इस आधार पर की कि उनके पिता (काउंसेल के) का निधन हो गया है और वे अपने पिता का श्राद्ध कर्म पूरा करने में व्यस्त थे । उपरोक्त कारणवश आयोग ने प्रार्थना स्वीकार करके डा. मिश्र को अपना ऐसा प्रत्युत्तर फाइल करने के लिए तारीख 4 अप्रैल, 1990 तक का समय दिया ।

3. इसी बीच बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन, फरवरी, 1990 में हुआ और डा. मिश्र, उस साधारण निर्वाचन में 80-झंझारपुर सभा निर्वाचनक्षेत्र से राज्य विधान सभा में निर्वाचित हो गए । विधान सभा के लिए उक्त निर्वाचन के बाद डा. मिश्र ने राज्य सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र दे दिया और यह त्यागपत्र सदन के सभापति ने तारीख 16-3-1990 को स्वीकार कर लिया ।

4. तारीख 16-3-1990 को डा. मिश्र त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के परिणामस्वरूप वे उस दिन से राज्य सभा के सदस्य नहीं रह गए हैं । अतः यह प्रश्न कि क्या वे राज्य सभा का सदस्य बने रहने से निरर्हित हो गए हैं या नहीं, अब विचारणीय नहीं रह गया है क्योंकि वे अब उस सभा के सदस्य नहीं हैं ।

इन परिस्थितियों में, आयोग की राय मांगी जाने के लिए, राष्ट्रपति से इस बाबत निर्देश कि क्या डा. मिश्र राज्य सभा के सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित हो गए हैं, निष्फल हो गया है । निस्संदेह डा. मिश्र बिहार विधान सभा के वर्तमान सदस्य हैं किन्तु यह उल्लेखनीय है कि जहां तक फरवरी, 1990 में डा. मिश्र का बिहार विधान सभा के लिए निर्वाचन का संबंध है, आयोग के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह अपनी कोई राय दे क्योंकि इस विषय में आयोग को कोई निर्देश नहीं दिया गया है तथा निरर्हता का अभिकथन उन तथ्यों पर आधारित है जो डा. मिश्र के बिहार विधान सभा के लिए निर्वाचित होने के पहले घटित हुए थे । ये तथ्य, जिन पर अभिकथित निरर्हता आधारित है डा. मिश्र के राज्य विधान सभा के लिए निर्वाचित होने के पूर्व के हैं, अतः राज्य विधान सभा की उनकी सदस्यता संबंधी निरर्हता, यदि कोई है तो, निर्वाचन-पूर्व की निरर्हता, है, जिस पर आयोग अपनी अधिकारिता का प्रयोग नहीं कर सकता । अंत में जहां तक कि डा. मिश्र की राज्य सभा की सदस्यता संबंधी निर्देश में अभिकथित निरर्हता का संबंध है, तो वह निर्देश तब निष्फल हो गया जब वे राज्य सभा के सदस्य नहीं रह गए और विद्यमान विधि के अनुसार आयोग को निर्वाचन-पूर्व की किसी निरर्हता के बारे में अधिकारिता नहीं है और यदि राज्य विधान सभा की सदस्यता संबंधी निर्देश से कोई निरर्हता उत्पन्न होती है तो वह निर्वाचन-पूर्व की निरर्हता से जिस पर आयोग की अधिकारिता नहीं है । (कृपया शंकर वेंकट राव (ए.आई.आर. 1953, उच्चतम न्यायालय 210); वृन्दावन नायक (ए. आई.आर. 1965 उच्चतम न्यायालय 1892); एन.जी. रंगा (ए.आई.आर. 1978 उच्चतम न्यायालय 1609) आदि के मामले में उच्चतम न्यायालय का विनिश्चय देखिए ।)

5. तदनुसार, राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश मेरी इस राय के साथ वापस किया जाता है कि श्री राम अखोरी की तारीख 10 जून, 1989 की अर्जी निष्फल हो जाने के कारण खारिज कर दी जाए ।

नई दिल्ली;
17 अक्तूबर, 1990

र. वेंकट सूर्य पेरिशास्त्री
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त
[फा.सं. 7/45/90-वि. II]
बी.एल. मथुरिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW & JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December, 1990

S.O. 933(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

ORDER

Whereas a petition dated 10th June, 1989 has been filed by Shri Ramesh Akhouri, Convener of Hindustani Andolan, Bihar, alleging that Dr. Jagannath Mishra, has become subject to disqualification for membership of the Council of States in terms of sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution of India by reason of his holding an office of profit under the State Government of Bihar ;

And whereas the President of India has sought the opinion of the Election Commission under clause (2) of article 103 of the Constitution with reference to the said petition on the question whether the said Dr. Jagannath Mishra has become subject to such disqualification;

And whereas the Election Commission has given its opinion (vide Annexure) that consequent upon the acceptance of the resignation of said Dr. Jagannath Mishra on 16th March, 1990 by the Chairman of the Council of States, he is no longer a member of the Council of States from that day, the question whether he is disqualified for continuing as member of the Council of States no longer survives and as such the petition dated 10th June, 1989 of Shri Ramesh Akhouri has become infructuous;

Now, therefore, I, R. Venkataraman, President of India, in exercise of the powers conferred on me under article 103 of the Constitution and in accordance with the opinion of the Election Commission, do hereby dismiss the petition of the said Shri Ramesh Akhouri as the same has become infructuous.

Dated 30th November, 1990.

R. VENKATARAMAN, President of India

ANNEXURE

ELECTION COMMISSION OF INDIA

REFERENCE CASE No. 2 of 1989

[Reference from the President of India under Art. 103(2) of the Constitution of India]

In Re : Alleged disqualification of Dr. Jagannath Mishra, former Member of the Council of States.

OPINION

1.1 By a Reference dated 6|10th July, 1989, the President's Secretariat sought, as desired by the President of India, the opinion of the Election Commission under Art. 103(2) of the Constitution of India on the question whether Dr. Jagannath Mishra, the then sitting member of the Council of States, had become disqualified for continuing as a member of that Council.

1.2 The above question arose on a letter dated 10th June, 1989 from Shri Ramesh Akhouri, Convener of Hindustani Andolan, Bihar Pradesh, in which it was alleged that Dr. Jagannath Mishra was holding an 'Office of Profit' within the meaning of Art. 102(1)(a) of the Constitution of India by reason of his holding the office of the Chairman-cum-Director General of the L. N. Mishra Institute of Economic Development and Social Change, Patna. The perusal of the documents annexed to the said letter showed that the management of the said Institute, which was initially started as a private Institute by a Society registered under the Societies Registration Act, was taken over by the Government of Bihar by Ordinance No. 15 of 1986 [Bihar Private Educational Institutions (Taking Over) Ordinance, 1986] and later on replaced by an Act of the State Legislature, namely, the Bihar Private Educational Institutions (Taking Over) Act, 1987 (Act XI of 1987). On taking over the management of the said Institute, the then Governing Council of the Institute was sought to be replaced by the State Government by a Board of Management, headed by the Governor of Bihar. Dr. Mishra, who was holding the Office of the Chairman-cum-Director General of the Institute before its take over, agitated the matter before the High Court of Judicature at Patna by way of writ petition and the Hon'ble High Court declared that he (Dr. Mishra) continued to be the Chairman-cum-Director General of that Institute on a salary of Rs. 3500|- which he was drawing earlier prior to the take over the Institute. On these facts, Shri Akhouri, the petitioner herein, contended that Shri Mishra had become subject to disqualification for continuing as a member of the Council of States by reason of his holding an Office of Profit under the Government of Bihar.

2.1 On receipt of the said Reference from the President's Secretariat, the Commission issued notices on 9th August, 1989 both to Dr. Mishra and to the petitioner to file their written statements|affidavits and other supporting documents and granted them one month's time for the purpose. In reply thereto, Dr. Mishra prayed on 8th September, 1989 that he may be allowed to file his written statement and other documents on or after 16-10-1989 as the procurement and inspection of relevant documents by him, and preparation of reply, etc., required further time. That request was granted : Dr. Mishra filed his written statement on 16-10-1989. He disputed the contention of the petitioner that the Office of the Chairman-cum-Director General of the said Institute was an Office of Profit under the Government of Bihar as he stated that he was holding that Office in an honorary capacity and without any salary.

2.2 A copy of Dr. Mishra's written statement was furnished to the petitioner, Shri Akhouri, on 1st November, 1989 for his rejoinder thereto by 28th November, 1989. The required rejoinder was not filed within the time and the petitioner through his counsel prayed to the Commission on 8-12-1989 for extention of time for the purpose upto 10th January, 1990 because of the then intervening general election to the Lok Sabha. The Commission granted the prayer of the petitioner. The petitioner filed has rejoinder statement on the 10th January, 1990. By another application dated 6-1-1990, filed on 10-1-90, the petitioner sought to keep certain documents on record of the proceedings and further prayed for a right to be reserved to file other and further documents if became necessary in the course of the proceedings.

2.3 In keeping with the usual practice followed in such cases, the rejoinder statement of the petitioner was served on Dr. Mishra on the 1st February, 1990 for filing his surrejoinder, if he so desired, by 15th February, 1990. On a request from Dr. Mishra received on 14-2-1990, time for submission of the surrejoinder by him was extended upto 2nd March, 1990. On the 3rd March, 1990, his Counsel prayed for further extension of time for the above purpose by one month on the ground he (Counsel) had lost his father and was not in a position to attend to the case as he was busy with the performance of religious (Saradh) ceremony of his father. In view of the reasons stated, the Commission accepted the prayer and granted Dr. Mishra further extension upto 4th April, 1990 for filing his surrejoinder.

3. Meanwhile, the general election to the Bihar Legislative Assembly was held in February, 1990 and Dr. Mishra got elected to the State Assembly from 80-Jhanjharpur Assembly Constituency at that general election. On such election to the State Assembly, Dr. Mishra resigned his seat in the Council of States and his resignation was accepted by the Chairman of that House on 16-3-1990.

4. Consequent upon the acceptance of resignation of Dr. Mishra on 16-3-90, he is no longer a member of the Council of States from that day. Therefore, the question whether he is disqualified for continuing as a member of that Council no longer survives for consideration at present as he is already not a member of that Council now. In these circumstances, the reference received from the President seeking the opinion of the Commission whether Dr. Mishra has become subject to disqualification to continue as member of the Council of States has become infructuous. Dr. Mishra is no doubt a member of the Bihar Legislative Assembly at present. But it may be mentioned that, in so far as Dr. Mishra's election to the Bihar Legislative Assembly in February, 1990, is concerned, it is not necessary for the Commission to express any opinion because no reference has been made to the Commission in regard to the matter and the allegation of disqualification is based on facts which occurred before Dr. Mishra's election to the State Assembly. The facts on which the alleged disquali-

fication is based being anterior to Dr. Mishra's election to the State Assembly, the disqualification if any, with respect to his membership of the State Legislative Assembly would be a pre-election disqualification over which the Commission cannot exercise jurisdiction. To sum up, in so far as the disqualification alleged with reference to Dr. Mishra's membership of Rajya Sabha is concerned, the reference became infructuous when he ceased to be a member of the Rajya Sabha and, as the law stands, the Commission has no jurisdiction with regard to a pre-election disqualification and if there is any disqualification with reference to the membership of his State Legislative Assembly would be a pre-election disqualification over which the Commission has no jurisdiction. [Kindly see Supreme Court's decision in the cases of Saka Venkata Rao (AIR 1953 SC 210); Brundaban Naik (AIR 1965 SC 1892); N. G. Ranga (AIR 1978 SC 1609), etc.].

5. Accordingly, the Reference, received from the President, is returned with my opinion to the effect that the petition, dated 10th June, 1989, of Shri Ramesh Akhouri be dismissed as having become infructuous.

(R.V.S. PERI SASTRI)
Chief Election Commissioner of India.

New Delhi, the

17th October, 1990.

[F. No 7(45)/90-Leg.II]
B. L. MATHURIA, Jt. Secy.

3245 OI/90

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990